न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 180 / 2022

उनवान

प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि. परतापुर तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

—ःवादी

बनाम

(1) प्रमोद पिता रमेश नागर निवासी गणेश मन्दिर के पास, पुराना बस स्टेण्ड, परतापुर तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)।

(2) तहसीलदार, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)।

(3) अधीशाषी अधिकारी, नगरपालिका परतापुर—गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)।

—ः प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183 राज, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 19.10.2022

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि का खाता नम्बर 411 (नया) व (पुराना) 382 के खसरा नम्बर 18 रकवा 0.05 हे0, खसरा नम्बर 19 रकवा 0.12 हे0, खसरा नम्बर 20 रकवा 0.20 हे0, खसरा नम्बर 21 रकवा 0.14 हे0, खसरा नम्बर 22 रकवा 0.17 हे0, खसरा नम्बर 23 रकवा 0.29 हे0, खसरा नम्बर 27 / 2984 रकवा 0. 08 हे0, खसरा नम्बर 40 रकवा 0.20 हे0, खसरा नम्बर 41 रकवा 0.06 हे0, खसरा नम्बर 42 रकवा 0.19 हे0, खसरा नम्बर 43 रकवा 0.21 हे0, खसरा नम्बर 45 रकवा 0.02 हे0, खसरा नम्बर 46 रकवा 0.14 हे0, खसरा नम्बर 47 रकवा 0.15 हे0, खसरा नम्बर 48 रकवा 0.85 हे0, खसरा नम्बर 50 रकवा 0.19 हे0, खसरा नम्बर 52 रकवा 0.23 हे0, खसरा नम्बर 56 रकवा 0.05 हे0 कुल खेत 18 कुल रकवा 3.34 हे0 भूमि वाके मौजा परतापुर तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा में स्थित है। उक्त कुल रकवे में खसरा नम्बर 48, 52, 56 और 50 पर स्कुल ग्राउण्ड स्थित है। खसरा नम्बर 47 मादलदा—परतापुर सड़क व शेष खसरा नम्बर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 27 / 2984 जो वर्तमान में परतापुर—मादलदा के बांई ओर स्थित है। सर्वे नम्बर 18, 20, 22, 23, 47 के उत्तर में सर्वे नम्बर 17 किस्म सड़क स्थित है व दक्षिण में स्वयं की कृषि भुमि, पूर्व में कृषि भूमि, पश्चिम गांधी आश्रम की भूमि स्थित है। वादी खातेदार होकर खेती करते चले आ रहे हैं व सरकार को लगान अदा करते चले आ रहे हैं। वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि के खेत सर्वे नम्बर 23 रकवा 0.29 हैक्टर वाके मौजा परतापुर तहसील गढ़ी पर प्रतिवादी संख्या 01 का कोई वैद्य हक एवं अधिकार नहीं है। इसके बावजुद प्रतिवादी ने उपरोक्त खेत के अन्दर उत्तर दिशा की ओर जबरन अवैद्य कब्जा कर अतिक्रमण कर 10•17 फीट कमरे, का निर्माण करवा लिया है व अभी भी निर्माण कार्य करवा रहा है। जिसे संलग्न नक्शे में ABCD से दर्शाकर पिले रंग से अंकित किया गया है। जिसे स्थाई निषेधाज्ञा से रोके जाना आवश्यक है। वाद पत्र के साथ संलग्न नक्षा वाद पत्र का ही एक भाग है। प्रतिवादी द्वारा किये गये अवैद्य कब्जे से बेदखल करना आवश्यक है। दिनांक 5/7/2022 को प्रतिवादी संख्या 01 ने कॉलम खडे कर दिवार का निर्माण चालु करवा दिया था। जिस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 02 को अतिक्रमण रूकवाने बावत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 02 ने किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की व अतिक्रमण नहीं रूकवाया व प्रतिवादी संख्या 03 को भी अतिक्रमण रूकवाने बावत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 03 ने भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं नहीं की। दिनांक 5/7/2022 को ही पुलिस थाना गढ़ी में भी अतिक्रमण रूकवाने बावत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु पुलिस थाना गढ़ी ने भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। पुनः दिनांक 4/8/2022 को वादी ने पुलिस थाना गढ़ी में एक रिपोर्ट

उप खण्ड... गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner

देकर उक्त अतिक्रमण रूकवाने हेतु व अवैद्य निर्माण रोकने हेतु निवेदन किया था। जिस पर पुलिस थाना गढ़ी द्वारा एफ.आई. आर. दर्ज की गई जो दर्ज होकर 204/2022 है। पुलिस थाना गढ़ी द्वारा घटना स्थल निरीक्षण कर पटवारी द्वारा मौका पर्चा कराया गया। जिसमें पटवारी ने बताया कि मौके पर 10.15 फीट पर सर्वे नम्बर 23 की जमीन पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अवैद्य निर्माण करा लिया गया है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपने अनुसंधान में प्रतिवादी संख्या 01 को अभियुक्त मानते हुवे उसके विरूद्ध गढ़ी न्यायालय में चार्जशीट भी पेश की जो विचाराधीन होकर लम्बित है। यह कि न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 01 निर्माण कार्य करवा रहा है व वादी को धमकी दे रहा है कि तुझे परतापुर में नहीं रहने दुंगा और मेरी दुकान की तरफ आया तो तुझे मारूंगा। यह कि प्रतिवादीगण की ओर से अतिक्रमण करने के पश्चात् भी दरवाजे व खिडकियां रख दी है व शने–शने उक्त विद्यालय की कृषि भूमि पर अतिक्रमण करते ही जा रहा है। प्रतिवादी द्वारा अभी भी निर्माण कार्य करवा रहा है व आगे का निर्माण कार्य जोर–शोर से तैयारी कर रहा है, जिसे स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोका जाना आवश्यक है। लोक सम्पनि पर अवैध कब्जा कर ऊना हित निर्माण कार्य को स्थाई निषेधाला द्वारा नहीं रोके जाने से कार्यवाहीयो की बाहुल्यता बढ़ेगी। न्यायालय में चालान प्रसुत्त होने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 01 निर्माण कार्य करवा रहा है व वादी को धमकी दे रहा है कि तुझे परतापुर में नहीं रहने दूंगा और मेरी दुकान की तरफ आया तो तुझे मारूंगा। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादी की उपरोक्त कृषि भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर वादी के खेत की तरफ अनाधिकृत रूप से दरवाजे व खिडकियां रख दी है व शने–शने उक्त विद्यालय की कृषि भूमि पर अतिक्रमण करते ही जा रहा है। प्रतिवादी द्वारा अभी भी निर्माण कार्य करवा रहा है व आगे का निर्माण कार्य जोर–शोर से तैयारी कर रहा है, जिसे स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोका जाना आवश्यक है। वादी के स्वामित्व व आधिपत्य के खेत सर्वे नम्बर 23 रकबा 0.29 हैक्टर वाके मौजा परतापुर के उत्तर की तरफ प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा पूर्व–पश्चिम 10 फीट एवं उत्तर–दक्षिण 17 फिट भुमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर अवैद्य निर्माण करा लिया है। जिसको हटाकर वादी की कृषि भुमि को अतिक्रमण से मुक्त करने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 को बेदखल किया जाना आवश्यक होने से धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया हुआ।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद एंव संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि वाद–पत्र में वर्णित भूमि राजकीय संस्था के नाम दर्ज रिकार्ड होकर भूमि कि किस्म में भी विद्यालय अंकित किया हुआ है। जिससे यह स्पष्ट होता हैं कि उक्त भूमि पर काश्त नही की जाती है।

अतः वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार इस न्यायालय का नही होकर वादी को अनुतोष दिया जाना पोषणीय नही होने से वादी की ओर से प्रस्तुत वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.10.2022 को जारी किया गया।

19.10.22

(मोहकम सिंह सिनसिनवार)
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner